ELDECO

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to certify that as per clause no 24(Kha) of Lucknow Industrial Development Area Building Bylaws-2009, Fire NOC is not required for our Project namely "Eldeco South Block" at Eldeco Shaurya situated at Bijnore Road, Lucknow, Uttar Pradesh, being developed by Eldeco Housing and Industries Limited having its Registered office at Eldeco Corporate Chamber 1, Vibhuti Khand (opp. Mandi Parishad), Gomti Nagar, Lucknow- 226010.

For Eldeco Housing and Industries Limited

Eldeco Housing & Industries Limited

Authorized Signatory

Date: 18.02.2019

अध्याय चार

संरचनात्मक सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा सेवाएँ

24- अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएँ- (क) भवन की योजना, अभिकल्पना तथा निर्माण इस प्रकार का होगा जिससे अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित हो और यह अद्यावधिक रूप से संशोधित नेशनल विल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया, 1970 के भाग-चार 'फायर प्रोटेक्शन' के अनुसरण में किया जाएगा।

(ख) 15 मीटर से अधिक ऊँचे बहु-मंजिला भवनों, तीन मंजिल से अधिक के भवनों, और 400 वर्ग मीटर से अधिक के भू-आच्छादन के भवन तथा औद्योगिक, भण्डारण, असेम्बली (संयोजन) के सभी अन्य भवनों तथा परिसंकटमय प्रकार की भवन योजनाओं की दशा में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (अधिनियम संख्या 6, सन् 2005) के उपबन्ध लागू होंगे।

25-संरचनात्मक अभिकल्पना- किसी भवन में पक्की चिनाई, लकड़ी, सादा कंकरीट और स्टील के किसी मद की सरंचनात्मक अभिकल्पना, भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार की गयी कार्यों के निष्पादन के समय यथा प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के भाग-चार (संरचनात्मक अभिकल्पना, अनुभाग-1, बोर्ड, अनुभाग-2, अनुभाग-5, कंकरीट, अनुभाग-6, स्टील, जैसा कि मामले में हो) के अनुसरण में कराया जाएगा।

26- सामग्री और कारीगरी की गुणवत्ता - समस्त सामग्रियाँ और कारीगरी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश इण्डियन स्टैण्डर्ड स्पेसिफिकेशन्स और अद्यतन पुनरीक्षित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया, 1970 के भाग-पाँच, भवन सामग्री तथा भाग-सात, निर्माण पद्धतियाँ और सुरक्षा में यथा सम्मिलित संहिताओं में सामान्य रूप से स्वीकार्य मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता की होंगी।

27. भवन सेवाएँ - भवन में विद्युत संस्थापनाओं की स्थापना, वातानुकूलन, उष्माकरण कार्य, लिफ्ट एवं एस्केलेटर की स्थापना मानचित्र अभिकल्प और भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार किये गये तथा कार्यों के निष्पादन के समय यथा प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के भाग-8 (भवन सेवाएँ, धारा-2 विद्युत संस्थापनाएँ, धारा-3 वातानुकूलन एवं उष्माकरण, धारा-5 लिफ्ट एवं एस्कलेटरों की स्थापना, जैसी भी स्थिति हो) के अनुसरण में कराये जाएंगे।

28. प्लम्बिंग (नलसाजी कार्य)- भवनों में जल आपूर्ति, जल निकास तथा स्वच्छता और गैस आपूर्ति प्रणाली का मानचित्र अभिकल्प, निर्माण तथा संस्थापना भारतीय मानक संस्थान द्वारा तैयार कराये गये और कार्यों के निष्पादन के समय यथा प्रचलित नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के भाग-नौ (नलसाजी सेवाएँ धारा-1, जल आपूर्ति धारा-2, जल निकास एवं स्वच्छता, धारा-3, गैस आपूर्ति, जैसी भी स्थिति हो) के अनुसरण में होगा।

29. जल आपूर्ति आवश्यकताएँ- भवन में जल आपूर्ति की आवश्यकताएँ, नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

30. स्वच्छता सम्बन्धी (सैनिटरी) फिटिंग्स- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी भवन में स्वच्छता सम्बन्धी (सैनिटरी) फिटिंग्स एवं संस्थापनाएँ समय-समय पर यथा संशोधित नेशनल बिल्डिंग कोड के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

(2) क्षेत्र में स्थित प्रत्येक फैक्टरी में ऐसे शौचालयों और मूत्रालयों का प्राविधान किया जायेगा जैसा कि समय-समय पर कारखाना अधिनियम 1948 के उपबन्धों के द्वारा या अधीन विहित किया जाये।

31- प्राकृतिक परिसंकट से संरक्षण हेतु संरचनात्मक सुरक्षा-तीन मंजिल से अधिक (भूतल को मिलाकर) या 12.0 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों के लिए और महत्वपूर्ण सुविधाओं तथा जल-कल, पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक), टेलीफोन एक्सचेंज, पुलों तथा पुलिया, विद्युत उप-केन्द्र ट्रांसमिशन टॉवर के लिए सरंचनात्मक सुरक्षा तथा भवनों के प्राकृतिक